परिशिष्ट - अ [19/3/2020]

(48)

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

प्रश्न सं. [क. 1123]

क्रमांक 1195 /11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 19 8 2012

प्रति,

अधीक्षक भू-अभिलेख,
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्ट्रेट जिला---------------
(म.प्र.)।

विषय- माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्र. ए 0969 मजरे टोलों को राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत् ।

संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भोपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 16.4.2012.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें । विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान.आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे मजरे टोलों को चिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है ।

अतः मजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मापदण्ड अपनाये जावें :-

(अ) मूल राजस्व ग्राम से मजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.या अधिक होनी चाहिये ।

(ब) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा पृथक हुए उक्त ग्राम की आबादी 200 या अधिक होनी चाहिये ।

(स) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमायें मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से मिलनी चाहिये, मजरे टोलों से पृथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमायें मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे ।

अतः उपरोक्त अ,ब,स के मापदण्डों एवं म.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए जिले में, मजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु चिन्हांकित कर सूची, एवं सृजित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानचित्रों की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशानुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवायें ।

मजरे टोलों से बनाये जाने वाले नवीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, चिन्हांकित मजरे टोलों की नामवार सूची, मानचित्र, सुस्पष्ट हों, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने बाबत आदेशित किया जाता है ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

—2—

12

क्रमांक 1195 /11भू.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 ग्वालियर दिनांक 14-6-2012

प्रतिलिपि-

1- कलेक्टर जिला--समस्त--------म.प्र.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर हुए लेख है, कि अधीनस्थ को विषयांकित जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जाकर इस कार्यालय को भिजवाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का कष्ट करें ।

2- क्षेत्रीय उप आयुक्त भू-अभिलेख जिला--समस्त-------म.प्र.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश